राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक : प. 7(1)कार्मिक/क–2/95 पार्ट जयपुर, दिनांक

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)

–: परिपत्र :–

विषय : कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में पात्र कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कार्मिक, जिसके 01 जून, 2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतान होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित किया गया था, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा। इस नियम के क्रियान्वयन के लिए पहले से पदोन्नत किसी व्यक्ति को पदावनत नहीं किया जायेगा। तत्पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.05.2023 द्वारा उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी किये गये है। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात डीपीसी वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने से पूर्व अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 से प्रभावित कार्मिकों को उन्हें देय पदोन्नति तिथि से पदोन्नति पर विचार किये जाने हेतु संबंधित वर्षो की डीपीसी अनुशंषाओं को रिव्यू किया जायेगा एवं संबंधित वर्ष में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत कराया जायेगा।

कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 से प्रभावित कार्मिकों की संबंधित वर्षो में पदोन्नति किये जाने से पूर्व ही वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित कर ली गई है अथवा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्व की रिव्यू डीपीसी किये जाने से पूर्व ही नवीन डीपीसी किये जाने पर वर्ष 2023–24 हेतु भी छाया पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि उचित नहीं है।

अतः सभी प्रशासनिक विभागों/नियोक्ता प्राधिकारियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी सेवा/पद की वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि उक्त सेवा/पद से संबंधित अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 से प्रभावित

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.07.27 09:24:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4343738

39/2023

कार्मिकों की पूर्व की प्रभावित सभी पदोन्नतियाँ संपन्न कर ली गई है। वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित होने के उपरांत अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में आयोजित की जानी वाली पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों हेतु वर्ष 2023–24 के लिए छाया पद स्वीकृत किया जाना अनुज्ञेय नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2023–24 में पदावनत किये जाने की स्थिति से बचने के लिए वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित करने से पहले अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में होने वाली पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें, परंतु इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व यदि किसी सेवा/पद की वर्ष 2023–24 की नियमित डीपीसी आयोजित कर ली गई है, तो अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की पालना में रिव्यू डीपीसी किये जाने पर वर्ष 2023–24 में पदोन्नत किसी भी कार्मिक को पदावनत नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत कराये जायेंगे।

सभी प्रशासनिक विभागो/नियोक्ता प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(हेमंत कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग को कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2023.07.27 09:24:57 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4343738

39/2023